न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फर्द अहकाम

बद्रीलाल बनाम जगदीश वगै0

अपील संख्या : 2019/00446

15.12.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने की सूचना दिये जाने बाबत् प्रस्तुत किया था। बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपीलांट की मृत्यु की सूचना माननीय न्यायालय को दिए जाने के बाद 90 दिवस से अधिक समय हो गया है, लेकिन अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अभी तक विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अधिवक्ता अपीलांट जानबूझकर प्रकरण का निस्तारण करने में विलम्ब कर रहे है। अपीलांट की अपील स्वतः अबेट होने से खारिज योग्य है। सीपीसी के प्रावधान इस सम्बंध में स्पष्ट है। अंत में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील अपीलांट को खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता रेस्पो0 की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर दिनांक 02.04.2025 से पत्रावली वास्ते बहस विचाराधीन थी। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने की सूचना दिये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति दिनांक 02.05.2025 को अधिवक्ता अपीलांट को दे दी गई। जिस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई। दिनांक 02.05.2025 से अधिवक्ता अपीलांट को न्यायालय द्वारा बार–बार अपीलांट के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये। लेकिन इस सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं अधिवक्ता अपीलांट ना ही न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 120 व 121 के अनुसार मृतक अपीलांट/रेस्पोडेन्ट अथवा मृतक वादी/प्रतिवादी के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा उनकी मृत्यु दिनांक से 90 दिवस के भीतर तय की गई है। जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की मृत्यु की सुचना होने के लगभग 180 दिन से अधिक समय हो जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं

की गई। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण में एकमात्र अपीलांट स्वयं बद्रीलाल थे जिनके कायम मुकाम की कार्यवाही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की जानी है। अतः हमारे मत में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 120 (यदि निर्धारित समयावधि में विधि प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो सम्पूर्ण अपील का उपशमन (अबेटमेन्ट) हो सकता है।) व 121 के आधार पर 90 दिवस से अधिक समय हो जाने के उपरांत भी अपीलांट बद्रीलाल के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील स्वतः ही अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 02.05.2025 को अपीलांट की मृत्यु की सूचना दिये जाने पश्चात् भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील स्वतः अबेट होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निर्णय दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा